

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती/शामली/बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2012

विषय: वर्ष 2011-12/2012-13 में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु धनावंटन के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में राज्य स्तरीय दैवीय आपदा राहत समिति बैठक दिनांक: 26.09.2012 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-12/2012-13 में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु संदर्भित प्रस्ताव/परियोजनाओं के संबंध में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹0 5,52,05,500/- (रूपये पांच करोड़ बावन लाख पांच हजार पांच सौ मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जनपद का नाम	विभाग का नाम	परियोजना का विवरण	जिलाधिकारी /मण्डलालय क्त का संदर्भ/पत्रांक	मांगी गयी धनराशि/स्वीकृत धनराशि (₹0 में)	अवमुक्त धनराशि (₹0 में)
श्रावस्ती	ग्रामांतिय खण्ड लो०नि०वि	मनोहरपुर से धर्मपुर होते हुए नरायनजोत सम्पर्क मार्ग के कि०मी० 3 में स्थित धोबहा नाले पर यातायात खोलने हेतु मिट्टी ब्रिक बैड्स भरई का कार्य तथा 10×6-00 मी० आर०सी०सी० लघु सेतु का पुनर्स्थापना एवं पुल के दोनो पहुंच मार्ग का कार्य एवं यातायात हेतु डाइवर्जन का कार्य	आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा का पत्र संख्या 1613/आर०ए० - प्रथम/12 दि० 01.09. 2012	2,17,20,000/-	1,08,60,000/-
शामली	ड्रेनज	ग्राम चौतरा के डाउन स्ट्रीम में स्पर	जिलाधिकारी	2,25,00,000/-	1,12,50,000/-

(2)

		खण्ड सिंचाई विभाग	(हनुमान ठोकर) की पुर्नस्थापना का कार्य	शामली का पत्र सं० 118/द्वी आपदा-02/20 11 दिनांक 04.08.2012		
3.	बहराइच	सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम (सिंचाई विभाग)	बेलहा-बेहरौली तटबन्ध के कि०मी० 12.100 से कि०मी० 12.600 तक रिवर साइड डाल के पुर्नस्थापना हेतु बल्ली पाइलिंग तथा ब्रेसिंग का कार्य	जिलाधिकारी बहराइच का पत्र सं० 1692/आपदा-तेरह-बाढ़/ 11 दिनांक 22.02.2012	1,97,78,000/-	98,89,000 / -
4.	बहराइच	सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम (सिंचाई विभाग)	बेलहा-बेहरौली तटबन्ध के कि०मी० 64.00 पर स्थित स्पर के अपस्ट्रीम में स्टड की पुर्नस्थापना का कार्य	जिलाधिकारी बहराइच का पत्र सं० 1692/आपदा-तेरह-बाढ़/ 11 दिनांक 22.02.2012	2,04,13,000/-	1,02,06,500 / -
5.	बहराइच	सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम (सिंचाई विभाग)	बेलहा-बेहरौली तटबन्ध के कि०मी० 64.00 पर निकट ग्राम घरेहरीपुर में स्थित स्पर के क्षतिग्रस्त अपस्ट्रीम शैक स्लोप की जीओ बैग से पुर्नस्थापना का कार्य	जिलाधिकारी बहराइच का पत्र सं० 1692/आपदा-तेरह-बाढ़/ 11 दिनांक 22.02.2012	2,60,00,000/-	1,30,00,000 / -
योग					11,04,11,000 / -	5,52,05,500 / -

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश

25

सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा। यह भी देख लिया जाये कि आगणन की जांच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा प्रस्तुत प्रस्ताव समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग का होगा तथा शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उसके पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

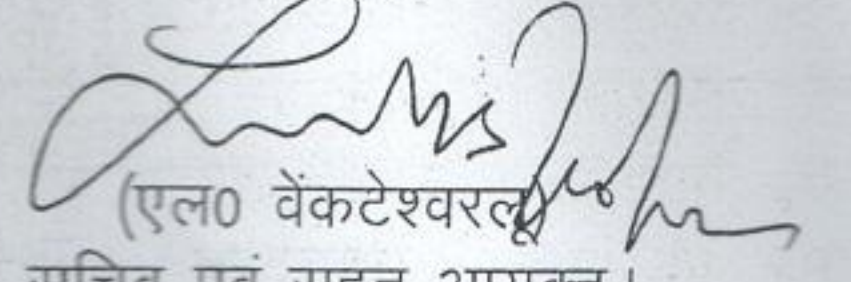
6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

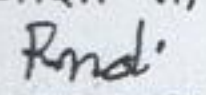
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

 (एल० वेंकटेश्वरलू)
 सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 2663/1-10-2012-33(172)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग उ०प्र० लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रावस्ती/शामली/बहराइच।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (आर० एन० द्विवेदी)
 अनु सचिव।